न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 13/2016

श्री सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1- श्री भरत होतवानी पुत्र श्री रूपचंद होतवानी मैसर्स कालका बैकरी, शॉप नं. 6, परवेज प्लाजा, एम.जी.रोड़, प्रतापगढ़
2- श्री अतुल पालीवाल पुत्र श्री अर्जुन पालीवाल मेसर्स सोहन मार्ट, सदर बाजार, प्रतापगढ़
3- श्री मनोज दुग्गड मैसर्स मनोज मार्केटिंग, 270 हिरण मगरी, सेक्टर नं. 11, काका रेस्टोरेन्ट के सामने, उदयपुर
4- श्री बिस्वजीत कुमार दास पुत्र श्री नागेन्द्र नारायण दास, मैसर्स kellog india pvt. LTD., warehouse-shubham forwarding Pvt. Ltd A-300, Road No-15, Khaitan Rolling Mil Near BSNL centre VKI Area Jaipur 302013
5- M/s lellog india pvt. Ltd, warehouse- shubham forwarding pvt. Ltd A-300 road no.15 khaitan rolling mil near BSNL centre , VKI area Jaipur 302013 regd office m/s Kellogg india pvt Ltd, plot L2 & L3, Taloja, MIDC district raigad, Navi Mumbai

– अप्रार्थीगण

:–आदेश–:

दिनांक 31/01/2022

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीयान ने मिसब्राण्डेड Corn Flakes (kellogg's brand) का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंधन किया है जिसके तहत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:53:27 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner

प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र , फर्म पंजीयन के सम्बन्ध में वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र , फर्म के सम्बन्ध में वार्षिक रिटर्न मय ट्रेडिंग अकाउण्ट/ ऑडिट रिपोर्ट की सूचना चाहने बाबत वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र, एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं शपथ पत्र , तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.06.2015 को दौराने गश्त 11.00 ए.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मै0 कालका बैकरी शॉप नं. 6 परवेज प्लाजा, एम.जी. रोड़ प्रतापगढ़ पहुंचा, अपना परिचय दिया तथा उनका परिचय लिया। उस समय दूकान पर श्री भरत होतवानी पुत्र श्री रूपचंद होतवानी उपस्थित थे । विक्रेता से पुछने पर उक्त संस्थान का मालिक होना बताया व स्थाई निवासी मकान नं. 54 वार्ड नं. 11, संत कंवर कॉलोनी, मन्दसौर जिला मन्दसौर होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया जहां पर Corn Flakes (kellogg's brand) के 250–250 ग्राम वाले लगभग 6 बॉक्स आमजन को बिक्री वास्ते एक कॉच की रैक पर रखे हुए थे तथा प्रत्येक डिब्बों पर Net weight-250gm,date of manufacture 14 jan 15, batch no. T3C140115 MRP 91/- best before nine months from manufactured by kellog's india Pvt. Ltd. आदि अंकित था। मिसब्राण्ड, सबस्टेण्डर्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रूबरू गवाह के सामने नमूना जॉच वास्ते हेतु लेने की सूचना मालिक को प्रपत्र 5 ए भरकर नियमानुसार मौके पर दी एवं रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया गया था कि Corn Flakes (kellogg's brand) का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जॉच हेतु लिया जा रहा है। प्रपत्र 5 ए की असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर विक्रेता ने Corn Flakes (kellogg's brand) को मैसर्स सोहन मार्ट, सदर बाजार प्रतापगढ़ से क्रय करने बाबत इनवोईस/बिल प्रस्तुत किया जिसकी छाया प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:53:27 IST
Reason: SelfAttested

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर गवाहो एवं मालिक की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ Corn Flakes (kellogg's brand) के 250–250 ग्राम वाले 4 बॉक्स वास्ते नमूना

Scanned by CamScanner

जॉच हेतु विक्रेता से खरीदे जिसकी किमत विक्रेता को 360 रू नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। रसीद की मूल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एफबीओ व गवाहान को प्लास्टिक के 4 साफ सुखे एवं खाली चौकोर डिब्बें दिखाकर उक्त खरीद शुदा Corn Flakes (kellogg's brand) के चारो बॉक्सो को साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के चार डिब्बो में अलग–अलग रखकर ढक्कन से बन्द किया । विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये जिस पर डी.ओ. के कोड कमांक वाई–585 दर्ज कर अन्य विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,गवाह एवं एफबीओ के हस्ताक्षर कराये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना डिब्बों पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक डिब्बों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोद से चिपकाया गया । तत्पश्चात डी0ओ0 प्रतापगढ़ के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं कमांक वाई–585 गोंद से गोलाई में चिपकाई ,धागे से बांध कर सिल चपडी से सीलबन्द मोहर किया गया । प्रत्येक सीलबंद नमूना डिब्बों के कागज पर नमूने का विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी व गवाहान ने हस्ताक्षर किये। एफबीओ ने पेपर स्लिप व खाकी कागज कॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे एफबीओ व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया ,जिन्होने पढ़, सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सिल किया था जिसका निशान मौके पर मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही एफबीओ व गवाहान की उपस्थिति में की गई ।

कार्यालय में पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल की थी। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्री माजीद अली च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 11.06.2015 को देकर रसीद प्राप्त की । [illegible] डिब्बा मय फार्म संख्या 6 की प्रति आउटर कवर में चपडी से सीलबन्द [illegible] स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 11.06.2015 [illegible] प्त की तथा दो सीलबन्द नमूना डिब्बा मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:53:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 10.06.2015 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि मैसर्स सोहन मार्ट, सदर बाजार प्रतापगढ़ को फार्म नं. 5 ए की प्रति व वेट इनवोईस की छायाप्रति तथा फर्म से सम्बन्धित सूचनाएं भिजवाने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रके पत्र प्रेषित किया गया जिसके जवाब में फर्म के मालिक श्री अतुल पालीवाल के पासपोर्ट की छायाप्रति, फर्म के खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति तथा खाद्य पदार्थ को मनोज मार्केटिंग उदयपुर से खरीदने का वेट इनवोईस बिल की छायाप्रति प्रेषित की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मनोज मार्केटिंग उदयपुर को फार्म नं. 5 ए की छायाप्रति व वेट इनवोईस की छायाप्रति तथा फर्म से सम्बन्धित सूचनाएं चाहन बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में मनोज मार्केटिंग द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रमाणित प्रति, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मय फार्म बी की छायाप्रति तथा खाद्य पदार्थ को मैसर्स केलोग इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड जयपुर से खरीदने का बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स केलोग इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड जयपुर को फार्म नं. 5 ए की छायाप्रति व फर्म का बिल इनवोईस की छायाप्रति भिजवाने व फर्म से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत् रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया Corn Flakes (kellogg's brand) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत misbranded होना पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को खाद्य विश्लेषक उदयपुर की जॉच रिपोर्ट के विरूद्व अपील हेतु अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजे गये ।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधिनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:53:27 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थीगण अभियुक्तों स्वयं मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत की। अपने जवाब व मौखिक बहस में बताया कि " खाद्य विश्लेषक ने अपनी जॉच रिपोर्ट में नमूना किस कारण से मिसब्राण्ड होता है यह जॉच रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेख नही किया गया है। इस कारण से केवल खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से अप्रार्थीगण के विरूद्व मिसब्राण्ड का प्रकरण आयद नही होता है।"

दौराने बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी से इस संबंध मे समस्त तथ्यों व विश्लेषण के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दूवार स्थिति स्पष्ट करने कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी न तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित हुए न ही खाद्य विश्लेषक। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को भी कई बार साक्ष्य हेतु तलब किया गया परन्तु साक्ष्य एक भी बार न्यायालय में उपस्थित नही हुआ।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत, जबकि प्रार्थी स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को औचित्यपूर्ण व तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार सिद्व करने में असफल है, इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है जब भी वह न्यायालय हाजा में प्रकरण प्रस्तुत करे तब प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी लेकर प्रस्तुत करे। बिना जानकारी के प्रकरण न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय का समय भी जाया होता है। अतः भविष्य में इस बाबत् विशेष रूप से ध्यान रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2022 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:53:27 IST
Reason: SelfAttested

(...लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner